That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of members of the Committee ;

That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee.'

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so appointed, may be communicated to this House."

RE PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO PUNJAB

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL/ **गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री** (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (in English and Hindi) :

(i) Proclamation (G.S.R. No. 944) issued by the President on June 15. 1971 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Punjab, under clause (3) of article 356 of the Constitution.

(ii) Order (G.S.R. No. 945) dated June 15, 1971, made by the President under sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation.

(iii) Report of the Governor of the Punjab, dated the 13th June, 1971, to the President recommending President's Rule in the Punjab.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE, 1971 (NO. 9 OF 1971)

II. THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL, 1971

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, the Statutery Resolution. Yes, Mr. Advani. He is not here to move ?. . . He is here.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE/**विधि और न्याय मन्त्री** (SHRI H. R. GOKHALE) : Sir, these two are to be taken up together.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, they are to be taken up together.

श्री लाल आडवाणी (दिल्ली) : श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प उपस्थित करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रख्यापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबंध) अध्यादेश, 197 (1971 का संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Advani, do you want to speak now ?

SHRI LAL K. ADVANI : Later on, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will have to speak now. You better take your own seat.

श्री लाल आडवाणी : उपसभापति महोदय, मुझे इस विषय में दो ही बातें कहनी हैं। पहले तो यह विधेयक जो आर्डिनेन्स के स्थान पर लाया जा रहा है दिल्ली के सम्बन्ध में है। जहां तक मुझे जानकारी है 1966 में जब महानगर परिषद् बनी थी तब से लेकर आज तक पिछले पांच सालों में यह पहला ही ऐसा विधेयक है जो महानगर परिषद् में गये बिना हम इस पर विचार कर रहे हैं। यों इस पर विचार करने का संसद् का पूरा अधिकार है, महानगर परिषद् कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके कारण उसका अधिकार संकुचित हो सकता है। किन्तु परम्परा यह रही है, इस सदन की प्रैक्टिस यह रही है और सरकार की स्वीकृति भी यही रही है, अव्यक्त मान्यता यही रही है कि दिल्ली के बारे में कोई भी विधेयक या दिल्ली के बारे में कोई भी कानून तब तक संसद के अन्दर नहीं आयेगा जब तक कि दिल्ली के चुने हुये प्रतिनिधि उस

[श्री लाल आडवाणी]

पर विचार न कर लें और अपनी राय न दे ले। राय देने के बाद इस संसद का अधिकार है कि उसको स्वीकार करे या न करे। लेकिन राय लेकर के काम करना यह अब तक की परम्परा रही है।

इस आर्डिनेस को जिस समय स्वीकार किया गया उस समय दिल्ली महानगर परिषद् अधिवेशन में नहीं थी और आर्डिनेन्स के बारे में शायद महानगर परिषद् की राय लेना संभव नही था। किन्तु मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि दिल्ली प्रशासन और उसको जो प्रतिनिधि संस्था कार्यकारी परिषद्, एग्जिक्युटिव कौसिल है उससे राय क्यों नही ली गई। यह मेरी प्रथम आपत्ति है। इससे वास्तव में मेटरोपोलिटन कौंसिल का एग्जिस्टेंस ही बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। मेटरोपोलिटन कौसिल को इसी कारण से बनाया गया था कि दिल्ली के सारे मामलों पर दिल्ली के प्रतिनिधि पहले विचार कर ले और उसके बाद ससद उनके बारे मे विचार करे। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्ट उत्तर दे कि यह परम्परा सर्वथा गलत परम्परा है और आगे इस प्रकार का रेपीटीशन बिल्कुल नही होगा। इस पर तो जो होना था वह हो ही गया है। आज हम इस पर विचार कर रहे हैं। कल महानगर परिषद् का अधिवेशन हो रहा है। वहा पर निश्चित रूप से इस बात पर आपत्ति उठाई जायगी। वे भी इस पर आपत्ति उठायेंगे विरोध करेगे और रोष प्रगट करेगे। आज मन्त्री महोदय स्पष्ट रूप से घोषणा कर दे कि इस बार जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति भविष्य मे नही होगी।

जहां तक इसके कटेंट्स का सवाल है, मै समझता हूँ कि यह एक डेलीकेट मामला है। मै इस मत का नही हू कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं है उनमे सरकार का बिल्कुल कोई भी हस्तक्षेप नही होना चाहिए। वे किसी भी प्रकार से चले, वहा पर व्यवस्था हो अथवा न हो, उसके बारे में सरकार को कुछ नही बोलना चाहिये, इस मत से मै सहमत नही हूँ। लेकिन मैं इस मत का जरूर हूं कि हस्तक्षेप इस प्रकार का कभी न हो जिसके कारण आशंका लोगों में हो कि जो सस्थाए समाज की होने चाहिये उनको सरकारी सस्था बनाने की कोशिश की जा रही है।

इस विषय में मेरी आपत्ति यह है कि इस विधेयक का गठन जिस प्रकार मे किया जा रहा है, सिख द्वारा मैनेजमेंट बिल जिस प्रकार का लाया जा रहा है वह एक प्रकार से गुरुद्वारों को सरकारी सस्थान बनाने की दिशा में एक कदम है। इसी कारण सिखों के एक बहुत बडे समुदाय ने, एक प्रकार से कहा जाए तो सिखो के बहुताश ने उसका विरोध किया है। इस विधेयक मे इस बात की गंध मिलती है कि सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुद्वारो को और उनके प्रबन्ध को अपने हाथ मे लेना चाहती है।

नामाकन के कई तरीके ही हो सकते थे। इस बिल में कहा गया है कि बोर्ड के पाच सदस्यों का नामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जिस का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर को दिया हुआ है। मै समझता हू कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमे सीधे तौर पर न आती तो अच्छा था। दिल्ली प्रशासन आ सकता था कुछ मात्रा मे, पूरी मात्रा मे वह भी नही आना चाहिए था। अच्छा होता कि सिखो से ही उनके प्रतिनिधियो से ही राय करके ऐसे आदमियों को नामिनेशन का अधिकार दिया जाता कि जिनके बारे मे उनमे विश्वास उत्पन्न हो सके। क्या तरीके निकल सकते थे यह मैं ऑफ हैड नही कह सकता, लेकिन प्रेस काउसिल जैसे स्थानो के लिए जैसा हमने किया है कि वह अधिकार स्पीकर को या चेयरमैन को या कही-कही चीफ जस्टिस को दिया है, वैसी ही कोई व्यवस्था इसमे की जा सकती थी जिसके कि उनमे हमारे प्रति विश्वास पैदा होता और उनके मन मे यह आशका न

निर्मित होती कि शासन उनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है । इस बिल से निश्चित रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है ।

मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के माननीय मन्त्री इस बिल को जब अन्तिम रूप देने की कोशिश करें तो ऐसी व्यवस्था करें कि जिस से आशंकायें निर्मूल हों । दोनों आशकायें—एक तरफ तो दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से और दूसरे सिख कम्युनिटी की ओर से जो आशकायें व्यक्त की गयी है उनका निर्मूलन होना चाहिए । अगर उनका निर्मूलन नही हुआ तो निश्चित रूप से मेरा यह सदेह सही सिद्ध होगा कि इस बिल का उद्देश्य प्रमुख रूप से राजनीतिक है । एक तरफ तो दिल्ली के प्रतिनिधियों के खिलाफ और दूसरी तरफ सिखों का राजनीति में जो स्थान है उसका अपने दलगत दृष्टि से लाभ उठाने के लिए ही इस बिल को लाया गया है इन शब्दों के साथ में इस सदन में प्रार्थना करता हूं कि वह इस आर्डिनेंस का निरनुमोदन करे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Gokhale, you can move your motion and speak after lunch

SHRI H. R. GOKHALE : I will move the Bill for consideration and will make a brief statement in support of the Bill. There are only two minutes left. I will continue after the recess. I will move the Bill now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can move the Bill now and make a speech also if it is a brief one. If it is not brief then you can make the speech after lunch.

SHRI H. R. GOKHALE : I will make the speech after lunch I will move the Bill now.

Sir, I beg to move that the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property be taken into consideration.

MR DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2 P. M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS DURING THE CURRENT SESSION EXTENDED UPTO 24TH JUNE, 1971

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 16th June, 1971, allotted time as follows for Government legislative and other business to be taken up during the current Session of the Rajya Sabha :

1. General Discussion on the Punjab Budget (1971-72) 2 Consideration and return of the Punjab Appropriation Bill, 1971.	Two hours
3. Consideration of a Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President on the 15th June, 1971, in respect of the State of Punjab.	Two hours.

The Committee also recommended that in order to complete the business :

(i) the House should sit up to June 24, 1971 ;

(ii) there would be no Question Hour during the extended period of the Session, namely, 21st to 24th June, 1971 ; and

(iii) the House should sit up to 6.00 P. M. daily, and beyond 6.00 P. M. as and when necessary, according to exigencies of work

---

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE, 1971—*Contd.*

II THE DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL, 1971—*Contd.*

SHRI H. R. GOKHALE ; Sir, as the House is aware, on the 20th of May, 1971,